परियोजना का नाम– जनपद चमोली में सिमली–चूलोकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से बणियास तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का लो.नि.वि. को हस्तान्तरण।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के कि.मी. 11 से वणियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के अर्न्तगत प्रभावित होने वाली ग्राम च्याण्डिपाल रेरबाडी व खण्डूडा एवं वणियास की सिविल भूमि 1.449 हे., भूमि का स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरेखण पर वृक्ष खडे मौजूद हैं, जिनकी गणना प्रस्तावक विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण के समय की जा चुकी हैं। अतः शा.सं. 866/X–3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.9.2011 तथा 883/X–3/2011/8 (21) /2010 दिनांक 4.1.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त उल्लिखित उक्त ग्रामों की सिविल भूमि राजस्व अभिलेख ज.वि.र. खतौनी के श्रेणी 9 (8) में दर्ज कागजात है। एवं वन भूमि में वृक्ष खडे होने एवं वृक्षो का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत आवश्यक है।

अमीन | पटवारी | तहसीलदार | उप जिलाधिकारी

सहायक अभियन्ता
प्रा.ख. लो.नि.वि.कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग

बन क्षेत्राधिकार